न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई -

कृ. बहादुर सिंह व/अ अनूपसिंह वगै.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

कृ. संख्या- 16/2022.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/7/2023	पत्रा. आज पेश हुई वकील उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA के तहत सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता का कहना है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 मे वर्णित विवादित - आराजी - खाता सं. 267 के ख.न. 853 रकबा 0.08 वाके. ग्राम मौजी तहसील नदबई पर स्थित है जिसमे वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से खातेदार दर्ज रिकार्ड है. उक्त आराजी पर वादी सं. 1/9 हिस्से पर व प्रतिवादीगण 1 ता 3 5/9 हिस्से पर सह खातेदार के रूप मे दर्ज चले आ रहे है। आराजी का अभि विभाजन नही हुआ है और उक्त ख.नं. पर प्रार्थी/वादी द्वारा कृषि विद्युत कनेक्शन ले रखा है तथा अपनी सिंचाई करता है. अप्रार्थीगण बिना बटवारा कराये प्रार्थी के बोर की बगल मे जबरन बोर लगाकर आराजी के बीचो बीच विद्युत कनेक्शन लेना चाहता है. तथा आराजी पर कुआ निर्माण करना चाहते है. आराजी आबादी से सटी स्थित है, तथा विद्युत कर्मचारियो को गुमराह कर विद्युत कनेक्शन ले रहे है. अतः [illegible] इस बाबत अप्रार्थीगण द्वारा धमकी दी गयी. अतः बिना बटवारा कराये बोर ना लगावे. कुआ निर्माण ना करे. मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु TI का हुक्म किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता का [illegible] कहना है कि अपने हिस्से पर कुआ [illegible] हिस्से पर का.[illegible] करते है. [illegible] एवं अप्रार्थीगण की अन्य आराजीयात है जो कि उक्त वादपत्र मे शामिल नही किया गया है वादी ने उक्त आराजी को अन्य स्टेपट मे खसरा नम्बर मे स्थित -	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:21:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

कनेक्शन को रखवाती थी जो बोरिंग फेल हो गया था। अब किसी प्रकार का कोई बोर नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई विवाद है. ना ही आराजी आबादी के सीमा में है, अगर आराजी आबादी में होती तो वादी/प्रार्थी को सिविल-न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए। आबादी के मध्य आराजी का होने का अधिकार सिविल-न्यायालय को है। अप्रार्थीगण ने दावा में एवं आराजी पर जोर जबरन रखवाली प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को अति- पहुंचाने हेतु वाद पेश किया है ना ही किसी प्रकार की कोई नुकसानी हो रही। अप्रार्थी संयुक्त रूप खातेदार है अगर लगान जमा किया गया है अपने अधिकारों से वंचित होगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाकर [illegible] स्थगन को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्षगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया है। प्रार्थी - प्रार्थनापत्र की मद सं. 2 कि - आराजी खाता सं. 267 की ख.नं. 853 रकबा 0.08 हे. वाके ग्राम मोसी तहसील महवा पर स्थित है जिसकी पुष्टि की प्रार्थी द्वारा [illegible] -2076 से है साबित है [illegible] पर प्रार्थी/वादी एवं अप्रार्थीगण [illegible] खातेदारी [illegible] की [illegible] आती काश्त बंटवारा नहीं हुआ है तथा मनवार अनुसार काबिज काश्त है। तथा वादी/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र की मद सं. 5 में यह बताया है कि - आ.खसरा 853 जो कि - आबादी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:27:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बीच ही. अवमान- आवासीय - के सम्बन्ध वाद- सुनने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को ही. अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विद्युत कनेक्शन- हो न- अप्रार्थी बहादुर सिंह के नाम- है. विवादित आवास- प्रार्थी के खसरा सं. 1703 की सम्पूर्ण- आवासीय - आवासी है. अगर वह खातेदार को स्थगन- आदेश से पाबन्द किया जावेगा तो वह अपने कब्जेशुदा खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात- होगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज [illegible] अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 24/02/2022 को खारिज किया जाता है। पत्रा. कोमल कुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:27:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner